



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042023-244852
CG-DL-E-01042023-244852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1436]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 29, 2023/चैत्र 8, 1945

No. 1436]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 29, 2023/CHAITRA 8, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2023

का.आ. 1489(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-931 के कि.मी 0.00 से 22.400 तक के उत्तर प्रदेश राज्य में पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH931 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य राजस्व अधिकारी,	राष्ट्रीय राजमार्ग	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1 अर्जुनपुर

અભય જૈન, ઉપ સચિવ

S.O. 1489(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned

in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for construction to 2 laning with paved shoulders of km. 0.000 to Km.22.400 of NH-931 in the State of UTTAR PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH931 in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Chief Revenue Officer, Pratapgarh ()	0KM To 22.4KM	UTTAR PRADESH	PRATAPGARH	Pratapgarh	1	Arjunpur
						2	Jogipur
						3	Kamaluddinpur
						4	Misrauli
						5	Antu
						6	Saraiya
						7	Pure Parmeshwar
						8	Saruanwa
						9	Aashapur
						10	Dangari
						11	Kamapur
						12	Kuaan
						13	Chaura
						14	Aammau
						15	Bhojpur
						16	Setapur
						17	Patulki
						18	Bhanapur
						19	Pure Bahoriya
						20	Baijalpur
						21	Ghoraha
						22	Lohangpur
						23	Adharpur
						24	Ranjitpur Chilbila
						25	Gadwari Shukulpur
						26	Kalyanpur Dandikachh
						27	Sandwa Chandrika

[F. No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-931/2022-23]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.